झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

संकल्प

विषय :– दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत सरकारी कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में ।

राज्य सरकार द्वारा साँतवे केन्द्रीय वेतन आयोग के आलोक में गठित फिटमेंट कमिटि की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण का प्रावधान संकल्प संख्या 218 दिनांक 18.01.2017 द्वारा लागू किया गया है ।

2. पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 38/37/2016–P&PW(A) दिनांक 12.05.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु दो सूत्रों का प्रावधान किया गया है, जिसमें से एक सूत्र का प्रावधान राज्य में संकल्प संख्या 218 दिनांक 18.01.2017 द्वारा लागू है ।

3. दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु भारत सरकार के पत्रांक 38/37/2016–P&W(A), दिनांक 12.05.2017 के प्रावधान को अंगीकृत करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

4. सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण निम्न दो सूत्रो के आधार पर किया जाएगा :–

(क) प्रथम सूत्र :– संबंधित कर्मी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को उनके वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे में प्राप्त वेतन को सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि के पश्चात् सभी अनुवर्ती वेतन समितियों की अनुशंसा के आलोक में प्रतिस्थानी वेतनमान/वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे में वैचारिक निर्धारण करते हुए दिनांक 01.01.2016 को भुगतेय पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा ।

[गणना की सुलभता हेतु पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक 38/37/2016–P&W(A), दिनांक 06.07.2017, दिनांक 18.07.2017 एवं 13.09.2017 के माध्यम से समेकित गणना तालिका संसूचित है ।]

(ख) दूसरा सूत्र :– दिनांक 31.12.2015 को प्राप्तेय पेंशन राशि में 2.57 के स्थिर गुणक से गुणा कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि का निर्धारण किया जायेगा ।

उपर्युक्त दोनों सूत्रों में से जो अधिक लाभकारी होगा, वही पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में स्वीकृत होगा ।

5. दण्ड स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत कराये गये कर्मियों का पेंशन पुनरीक्षण उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर नहीं किया जायेगा, ऐसे कर्मियों के पेंशन पुनरीक्षण हेतु संकल्प संख्या 218 दिनांक 18.01.2017 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे ।

6. पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण फलस्वरूप बकाया का भुगतान दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया जाएगा ।

7. पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु उपर्युक्त कण्डिका 4 में अंकित प्रावधान वैसे कर्मियों जो दिनांक 15.11.2000 (झारखण्ड गठन) के बाद एवं दिनांक 01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत/मृत हुए हैं, पर लागू होगा ।

8. महालेखाकार (ले० एवं हक०) कार्यालय, राँची, झारखण्ड का दायित्व होगा कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कर संशोधित पेंशन अदायगी आदेश (P.P.O.) निर्गत करें । किसी कर्मी की सूचना अनुपलब्ध होने पर महालेखाकार कार्यालय द्वारा संबंधित कार्यालय/विभाग से सूचना माँग कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जाय ।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 29.01.2019 की बैठक मद संख्या 20 में इसकी स्वीकृति दी गई है ।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(सुखदेव सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक :– 9/पें०(6)–02/2018........../वि०   राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप–कोषागार पदाधिकारी/पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने हेतु योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

(सुखदेव सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक :– 9/पें०(6)–02/2018........../वि०   राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

(सुखदेव सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक :– 9/पें०(6)–02/2018 35/वि०   राँची, दिनांक 22/2/2019

प्रतिलिपिः– सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को e- गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित ।

Sukhdev 22/02

(सुखदेव सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव,
योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।